

## उत्पाद प्रपत्र संख्या—I B

विदेशी शराब (बीयर एवं वाईन सहित) भण्डारण एवं बिक्री के लिए थोक अनुज्ञापि जिसके तहत कॉरपोरेशन के गोदाम से जिला के खुदरा अनुज्ञापिधारियों को आपूर्ति हो।  
(केवल झारखण्ड राज्य विवरेजेज कॉरपोरेशन लिंग, रांची के लिए)

जिला का नाम—जामताड़ा

रजिस्टर सं०-०१ में लाइसेंस सं०-०६ / २०१२-१३

लाइसेंस की तारीख—१५.१२.२०१२

अनुज्ञाधारी का नाम—झारखण्ड राज्य विवरेजेज कॉरपोरेशन लिंग, रांची

लाइसेंस अवधि—१५.१२.२०१२ से ३१.०३.२०१३ तक चालू

बिक्री गोदाम का स्थान—सरकारी मद्यभण्डागार स्थित गोदाम, जामताड़ा

चौहदी उत्तर—जामताड़ा महिला कॉलेज, दक्षिण—जामताड़ा ब्लॉफ रोड, पूरब—झारखण्ड पुलिस का शस्त्रागार, जामताड़ा एवं पश्चिम—पुराना कोर्ट हाजत

वार्षिक अनुज्ञापि फीस—६०००००.०० रुपया (छ: लाख रुपया)

अग्रिम रूप में भुगतान रु०-१७७४२१.०० रुपया

विदित हो कि सर्वश्री झारखण्ड राज्य विवरेजेज कॉरपोरेशन लिंग को जामताड़ा जिला के उपायुक्त दिनांक—१५.१२.२०१२ से ३१ मार्च, २०१३ तक पेय विदेशी शराब के भण्डारण एवं थोक बिक्री के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं ताकि जिला के खुदरा अनुज्ञापिधारियों को इसकी आपूर्ति हो सके।

- इस लाइसेंस के चालू रहने की शर्त के रूप में लाइसेंसधारी से अपेक्षा की जाती है कि वह निम्नलिखित अनुच्छेदों और सभी उत्पाद शुल्क लाइसेंसों पर लागू सामान्य शर्तों का सम्यक रूप से और निष्ठापूर्वक पालन करेगा और उसके अनुसार कार्य करेगा।
- झारखण्ड राज्य विवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड राज्य सरकार को जिला के लिए स्वीकृत अनुज्ञापि के लिए अग्रिम के रूप में वार्षिक अनुज्ञापि फीस रु०-६०००००.०० रुपया का भुगतान करेगा। वह वार्षिक अनुज्ञाशुल्क का भुगतान संबंधित जिला स्थित कोषागार/उप कोषागार में करेगा।
- (क) अनुज्ञाधारी किसी भी खुदरा विक्रेता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को मदिरा की बिक्री नहीं करेगा।  
(ख) अनुज्ञाधारी इस लाइसेंस के अधीन अमिश्रित सादा सिपारेट या परिशोधित सिपरिट नहीं बेचेगा।
- अनुज्ञाधारी अनुज्ञापि परिसर में मद्यपान नहीं करने देगा।
- अनुज्ञाधारी इस लाइसेंस के अधीन २५ दिग्री यू०पी० शक्ति से कम शक्ति का विस्की, ब्राण्डी, वोदका, रम एवं जीन का बिक्री नहीं करेगा।

6. अनुज्ञाधारी इस लाईसेंस के अधीन अनुमोदित परिसर के अलाये कहीं और विक्री हेतु विदेशी शराब/बीयर संचय नहीं करेगा वशतें कि इसके लिए आयुक्त उत्पाद द्वारा विशेष अनुमति प्रदान की गयी हो।
7. अनुज्ञाधारी विदेशी शराब/बीयर उधार नहीं बेचेगा/ एवं थोक विक्री हेतु इसका पर्याप्त स्कन्ध बनाये रखेगा।
8. अनुज्ञाधारी मंदिरा एवं उसके लेबल की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं करेगा जिसकी भण्डारण की गई हो।
9. अनुज्ञाधारी अनुज्ञाप्ति परिसर में विदेशी शराब/बीयर के स्कन्ध एवं विक्री का पूरा ब्यौरा प्रतिदिन लेखा पंजी में अंकित करेगा। समय—समय पर निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा इसकी जाँच की जा सकेगी।
10. अनुज्ञाधारी किसी को भी जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/ अधीक्षक उत्पाद द्वारा निर्गत पास के बिना मंदिरा की विक्री नहीं करेगा।
11. अनुज्ञाधारी अनुज्ञाप्ति परिसर में मंदिरा के पेटियों को ब्राण्डवार हस प्रकार संग्रहित करेगा कि उसे निरीक्षण के समय सत्यापन में सहुलियत हो।
12. अनुज्ञाधारी किसी भी ब्राण्ड की सात पेटी से अधिक पेटियों को एक के ऊपर एक नहीं रखेगा।
13. अनुज्ञाधारी की शर्तों के उल्लंघन के लिए उत्पाद अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जा सकेगा।
14. अनुज्ञाधारी गोदाम के कार्य करनेवाले प्रबन्धन एवं कार्य करनेवाले अन्य प्राधिकृत व्यक्तियों की सूची आयुक्त उत्पाद को देना सुनिश्चित करेगा।
15. अनुज्ञाधारी समय—समय पर आयुक्त उत्पाद द्वारा निर्गत सामान्य तथा विशेष निर्गत अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
16. अनुज्ञाधारी उत्पाद अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनायी गयी नियमावली का अनुपालन करेगा तथा उससे आबद्ध रहेगा।
17. अनुज्ञाधारी राज्य में लागू सभी संबंधित विधि/नियम/अधिसूचना/संकल्प एवं अनुदेश का पालन सुनिश्चित करेगा।
18. अनुज्ञाधारी राजस्व पर्षद द्वारा अधिसूचित शुल्क दिवस को मंदिरा की विक्री नहीं करेगा।

**टिप्पणी:-** ऊपर लिखित किन्हीं शर्तों या उत्पाद शुल्क लाईरोंसों पर लागू सामान्य शर्तों का उल्लंघन होने पर यह लाईसेंस जप्त कर दिया जायेगा और लाईसेंसधारी विधि या नियम द्वारा विहित सभी या किन्हीं दण्ड का भागी होगा।

स्थान—जामताडा

13/XI/XII.

तिथि— 13.12.2012.

उपायुक्त,  
जामताडा

प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड राज्य विवरेजेज कॉरपोरेशन लि०, रांची द्वारा प्राधिकृत गोदाम  
मैनेजर/विक्रेताओं की सूची

जिला	नाम	पिता का नाम	उम्र	स्थायी पता	गोदाम मैनेजर/ विक्रेता का हस्ताक्षर	लाईसेंसधारी/ अनुज्ञाधारी के प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर

उपायुक्त, जामताडा के आदेश टिकाना 31-3-2013 के आलोचना में अनुग्रहीत  
विक्रीघोषणा 2013-14 के लिए जल्दीकर।

31/3/2013.  
झारखण्ड के उत्पाद  
जामताडा

उपायुक्त, जामताडा के आदेश दिनांक - 31-3-2014 के  
आलोक में अनुमति विजीप वर्ष - 2014-15 के लिए जतीकृत।

अधीक्षक उत्तराद  
31/3/2015  
जामताडा

मंत्रस्थान लरकार के असाध्याया छाँट नाइट सेंटरा - 142 दिनांक - 10-3-15  
लग्नार्थी जामताडा के आलोक में लाभिक भागुराष्ट्र - प्रो. 100000000/ नू जबा के  
उपरांत, उपायुक्त जामताडा के लाभिक - आदेश दिनांक - 30-3-2015 के  
आलोक में विजीप वर्ष - 2015-16 के लिए जारी किया जातीकृत।

अधीक्षक उत्तराद  
31/3/2015  
जामताडा

उपायुक्त जामताडा के आदेश दिनांक - 31-3-2016 के  
आलोक में अनुमति विजीप वर्ष - 2016-17 के लिए जतीकृत।

अधीक्षक उत्तराद  
31/3/2016  
जामताडा

## उत्पाद प्रपत्र-27 ड

झारखण्ड राज्य के अन्तर्गत जामताड़ा जिला में देशी शराब/मसालेदार देशी शराब के भण्डारण  
एवं थोक विक्री की अनुज्ञाप्ति

(केवल झारखण्ड राज्य विवरेजेज कॉरपोरेशन लिए, रांची के लिए)

इसके द्वारा झारखण्ड राज्य विवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची, जिन्हें इसमें अनुज्ञाधारी कहा गया है, को जामताड़ा जिला की देशी शराब/मसालेदार देशी शराब/कम्पोजिट दुकान के अनुज्ञाधारियों को देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की थोक आपूर्ति के लिए झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा-20 के उपबन्धों एवं इसमें आगे बताई गई शर्तों के अधीन उपायुक्त के द्वारा दिनांक—01.04.2013 से 31.03.2014 के लिए निम्नांकित शर्तों के तहत अनुज्ञाप्ति प्रदान की जाती है, यथा—

### शर्तें

1. इस अनुज्ञाप्ति के अधीन बेची गई शराब आयुक्त उत्पाद द्वारा विहित मानक के अनुसार औसतन अच्छी किस्म की होगी।
2. अनुज्ञाधारी झारखण्ड उत्पाद अधिनियम 1915 के उपबन्ध एवं उसके अधीन बनाई गई नियम से जहाँ तक उनका उनसे संबंध हो आवद्ध रहेगा।
3. अनुज्ञाधारी जिस जिला के लिए अनुज्ञाप्ति प्राप्त करेगा उस जिला हेतु निर्धारित देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की थोक विक्री के पूर्व जिला के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर रु 2/- प्रति एल०पी०एल० की दर से अनुज्ञाप्ति शुल्क एकमुश्त अग्रिम जमा करेगा। यदि वित्तीय वर्ष में न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अधिक आपूर्ति होती है तो न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अधिक की गयी आपूर्ति की मात्रा पर उपरोक्त दर से थोक अनुज्ञाप्ति शुल्क देय होगा।
4. जिस जिला के लिए झारखण्ड राज्य विवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड अनुज्ञाप्ति प्राप्त करेगा उस जिला हेतु विनिर्दिष्ट प्रक्षेत्र के अनन्य विशेषाधिकार प्राप्त विनिर्माणशाला के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पास के जरिए विनिर्माणशाला से झारखण्ड राज्य विवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के गोदाम में देशी शराब/मसालेदार देशी शराब का परिवहन किया जायेगा।
5. इस अनुज्ञाप्ति के अधीन देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की विक्री केवल उन्हीं व्यक्तियों/अनुज्ञाप्ति प्राप्त खुदरा विक्रेताओं के साथ की जाएगी जो जिले के अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद द्वारा हस्ताक्षरित पारक प्रस्तुत करेंगे।
6. इस अनुज्ञाप्ति के अधीन देशी शराब/मसालेदार देशी शराब का संचय एवं विक्री के लिए मदिरा का निर्गमण प्रभारी उत्पाद पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जाएगा। अनुज्ञाधारी उनकी सहायता के लिए प्रत्येक थोक गोदाम में अपना प्रतिनिधि/कर्मचारी रखेगा, जहाँ से खुदरा अनुज्ञाधारियों को निर्धारित दर पर देशी शराब/मसालेदार देशी शराब का निर्गमण जिला उत्पाद कार्यालय से निर्गत पारक के आधार पर किया जाएगा।
7. देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की खुदरा अनुज्ञाप्तिधारियों द्वारा क्रय किये गये शराब के मूल्य की राशि का भुगतान झारखण्ड राज्य विवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को किया जाएगा तथा प्राप्त राशि के बदले झारखण्ड राज्य विवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा प्राप्ति रसीद निर्गत की जाएगी।
8. इस अनुज्ञाप्ति के अधीन बेची जानेवाली देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की शक्ति वही होगी जैसा कि राजस्व पर्षद, झारखण्ड समय-समय पर नियत करें।

9. अनुज्ञाधारी द्वारा इस अनुज्ञप्ति के अधीन देशी शराब/मसालेदार देशी शराब का वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के आधार पर न्यूनतम 15 दिनों का स्कन्ध हमेशा रखा जाएगा। विशेष परिस्थिति में इस संबंध में विचलन आयुक्त उत्पाद के आदेश से ही सम्मत होगा। जब कभी विहित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से कम स्कन्ध हो तब अनुज्ञाधारी विहित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के अनुरूप स्कन्ध शीघ्र पूरा कर देगा। यदि स्कन्ध हो तब अनुज्ञाधारी जिला के भण्डागार के प्रभारी उत्पाद पदाधिकारी से ऐसा करने के लिए सूचना प्राप्त होने के सात दिनों के अन्दर ऐसा नहीं करता है तो वह ऐसे दण्ड का भागी होगा जैसा आयुक्त उत्पाद द्वारा ठीक समझा जाएगा।
10. अनुज्ञाधारी से अपेक्षा की जाती है कि वह उत्पाद अनुज्ञप्ति पर लागू सामान्य शर्तों का सम्यक रूप से और निष्ठा पूर्वक पालन करेगा।
11. अनुज्ञाधारी आयुक्त उत्पाद द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जानेवाले सभी सामान्य एवं विशेष आदेश से आबद्ध रहेगा।
12. अनुज्ञाधारी देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की बिक्री का नेखा-जोखा अलग-अलग रखेगा एवं खुदरा विक्रेता के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति को मदिरा की बिक्री नहीं करेगा।
13. अनुज्ञाधारी अनुज्ञप्ति परिसर में मध्यपान की अनुमति प्रदान नहीं करेगा।
14. अनुज्ञाधारी देशी शराब/मसालेदार देशी शराब की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं करेगा।
15. अनुज्ञाधारी राज्य में लागू सभी संबंधित विधि/नियम/अधिसूचना/संकल्प एवं अनुदेश का पालन सुनिश्चित करेगा।
16. अनुज्ञाधारी राजस्व पर्वद द्वारा अधिसूचित शुष्क दिवस को मदिरा की बिक्री नहीं करेगा।
17. अनुज्ञाधारी द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन के लिए उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।

*Bhagat  
3/3/XW*

उपायुक्त,  
जामताडा

उपायुक्त, जामताडा के आदेश दिनांक - 31-3-2014 के  
भालोक में अनुरूप वित्तीय वर्ष - 2014-15 के लिए नवीकृत।

*अधीक्षक  
3/3/14*

भालोक उपायुक्त के द्वारा दिनांक 10-3-2015 के अनुरूप अनुदान दिनांक 30-3-2015 के वार्षिक अनुदान राशि - 3,133,860/- कठ तथा के संभिका आदेश दिनांक - 30-3-2015 के उपरोक्त उपायुक्त जामताडा के लिए अनुरूप नवीकृत।

*प्रभान्तु  
उत्पाद  
उत्पादक उत्पाद  
उत्पादक उत्पाद*

उपचुक्त जामताडा के आदेश दिनांक - 31-3-16  
के आलोक में असुरक्षित विहीन वर्ष - 2016-17 से लिए  
जाकीज़ु।

पंचमुखी  
अधीक्षक उत्पाद  
जामताडा